न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री हरि सिंह देवल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/27

दायरा तिथि : 11.10.2022

आदेश तिथि : 21-07-2023

प्रार्थीगण :–

1. जोगसिंह सोंढा पुत्र हुकमसिंह सोंढा जाति राजपूत निवासी इंद्रा कॉलोनी बाडमेंर
2. श्यामसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी रतनसिंह का वास बंधारा बाडमेंर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 21-07-2023

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 452 रकबा 0.5500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 456 रकबा 2.3600 व खसरा नंबर 469 रकबा 2.3200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/3625 दिनांक 28.12.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह कि ग्राम रुगनाथपुरा के खसरा नंबर 452 रकबा 0.55 हैक्टर की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री जोगसिंह सोंढा पुत्र श्री हुक्मसिंह सोंढा हि. 1/2 जाति राजपूत निवासी बाडमेंर व श्यामसिह पुत्र खेतसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत निवासी बाडमेर के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवेदक प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन करता है।

2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	456	2.36	गै.मु. मगरा	202X9=1818 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2.	469	2.32	बा.दो.	168X9=1512 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा ग्राम रुगनाथपुरा की डी.एल.सी. दर 96390/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है। किन्तु प्रस्तावित भूमि में मौके पर रायडे की फसल एव विद्युत पोल की लाईन गुजर रही है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि ग्राम रुगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 452 रकबा 0.5500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/3625 दिनांक 28.12.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार........02

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/369

अनवान जोगसिंह वगैरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 452 रकबा 0.5500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का बेडा।। तहसील बाली के खसरा नंबर 456 रकबा 2.3600 व खसरा नंबर 469 रकबा 2.3200 हैक्टर मेंसे **1818+1512=3330 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 96390/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
456	2.36	202X9=1818 वर्गमीटर	10	18180X2= 36360	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
469	2.32	168X9=1512 वर्गमीटर	10	15120X2= 30240	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **66600/- (अक्षरे छासठ हजार साठ रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री हरिसिंह देवल)
आरएएस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.
दिनांक : 21-07-2023

क्रमॉक/कोर्ट/2023/356-360

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जोगसिंह सिंढा पुत्र हुकमसिंह सिंढा जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलोनी बडेर कौरा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)